क्रम-संख्या–357

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 दिसम्बर, 2017

पौष 5, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2673 / 79-वि–1–17–1(क) 2 / 17
लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2017 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2017]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (क), (ग), (घ), (ट) तथा (ध) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 5-क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5-क में, –

(क) खण्ड (ख) में, शब्द " या किसी न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में, शब्द "या न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (घ) में, शब्द "या किसी न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 9-क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 9-क में, शब्द " या सम्बंधित न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 11-घ का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 11-घ में, खण्ड (क) और (ग) में, शब्द "और न्याय पंचायत का पंच" तथा खण्ड (घ) में शब्द "या न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 11-ड का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 11-ड. में, –

(क) उपधारा (1) में, शब्द "या न्याय पंचायत का पंच" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "या न्याय पंचायत के पंच" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 12-ग का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 12-ग में, उपधारा (1) में, शब्द "जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का भी निर्वाचन है जो धारा 43 के अधीन किसी न्याय पंचायत का पंच नियुक्त किया गया हो" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 12-घ का निकाला जाना

8–मूल अधिनियम की धारा 12-घ निकाल दी जायेगी।

धारा 14-क का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 14-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी :–

"(1) यदि कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्य की समाप्ति पर ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी जान–बूझकर चूक करता है, तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।"

धारा 25 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

धारा 25-क का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 25–क में, शब्द "सम्बंधित ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ऐसी ग्राम पंचायतें स्थित हों" के स्थान पर शब्द "और सम्बंधित ग्राम सभाओं" रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 27 में, शब्द "प्रत्येक न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच, यथास्थिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसके ऐसा प्रधान, सदस्य, सरपंच, सहायक सरपंच या पंच की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसके ऐसा प्रधान या सदस्य होने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द "न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 39 का निकाला जाना

14–मूल अधिनियम की धारा 39, निकाल दी जायेगी।

धारा 40 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 40 में, शब्द "और न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे।

अध्याय 6 का निकाला जाना

16–मूल अधिनियम का अध्याय 6, जिसमें धारा 42 से धारा 94–क समाविष्ट है, निकाल दिया जायेगा।

धारा 95 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 95 में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "अथवा न्याय पंचायत" जहां कहीं आये हों, निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (छ) में शब्द "अथवा न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 100 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 100 में, खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

धारा 106 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 106 में, —

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "अथवा न्याय पंचायत के पदाधिकारियों व सेवकों" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "अथवा न्याय पंचायत के" और शब्द "अथवा न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 107 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 107 में, —

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "तथा न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) निकाल दी जायेगी।

धारा 108 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 108 में, शब्द "तथा न्याय पंचायत" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 109 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 109 में, शब्द "किसी न्याय पंचायत के अधिकार— क्षेत्र के सम्बंध में" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 110 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (2) में :—

(क) शब्द "अथवा न्याय पंचायत", "और न्याय पंचायतों", "और न्याय पंचायत" या "न्याय पंचायत" जहां कहीं आये हों, निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (2—छ), (25), (25—क), (25—ख), (26), (27), (28), (29), (30) निकाल दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 को उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन की स्थापना और विकास के लिये अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के गठन के लिये व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग—नौ, भारत का संविधान में बढ़ाया गया है, जिसके अनुसार ग्राम—पंचायतें त्रि—स्तरीय होंगी, अर्थात् ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें होंगी।

भारत का संविधान के आदेशानुसार न्याय पंचायतें, जो अक्रियाशील हो गयी हैं, की अव्यहारिकता के कारण ग्राम पंचायतों को अनेक शक्तियॉ सौंपी गयी हैं। अतएव, अब, न्याय पंचायतों से सम्बन्धित उसके उपबन्धों को निकालने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2673(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka) 2/17
Dated Lucknow, December 26, 2017

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2017) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2017 :—

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 2017

[U.P. Act No. 6 of 2017]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in Sixty Eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 2017.

Amendment of section-2 of U.P. Act no. 26 of 1947

2. In section-2 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 hereinafter referred to as the principal Act, clauses (a), (c), (d), (k) and (s) shall be *omitted.*

Amendment of section 5-A

3. In section 5-A of the principal Act,-

(a) in clause (b), the words "or a Nyaya Panchayat" shall be *omitted*;

(b) in clause (c), the words "or Nyaya Panchayat" shall be *omitted*;

(c) in clause (d), the words "or a Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

Amendment of section 9-A

4. In section 9-A of the principal Act, the words "or the concerned Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

Amendment of section 11-D

5. In Section 11-D of the principal Act, in clauses (a) and (c) the words " and a Panch of the Nyaya Panchayat" and in clause (d) the words " or Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

Amendment of section 11-E

6. In section 11-E of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) the words "or a Panch of a Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

(b) in sub-section (2) the words "or Panch of a Nyaya Panchayat," shall be *omitted.*

Amendment of section 12-C

7. In section 12-C of the principal Act, in sub-section (1) the words" including the election of a person appointed as the Panch of a Nyaya Panchayat under section 43" shall be *omitted.*

Omission of section 12-D

8. section 12-D of the principal Act, shall be *omitted.*

Amendment of section 14-A

9. In section 14-A of the principal Act, for sub-section (1) the following shall be *substituted*:-

"(1) If any person on ceasing to act as Pradhan of a Gram Panchayat willfully fails in spite of being required to do so by the prescribed authority, to handover all records, money or other property of Gram Panchayat to his successor or to a any person authorised in the behalf by the prescribed authority, he shall be punishable imprisonment which may extend to three years or with fine or with both."

Amendment of section 25

10. In section 25 of the principal Act, sub-section (7) shall be *omitted.*

Amendment of section 25-A

11. In section 25-A of the principal Act, for the words " the Gram Sabha concerned and the Nyaya Panchayats within whose territorial limits such Gram Panchayats are situated" the words " and the Gram Sabhas concerned" shall be *substituted.*

Amendment of section 27

12. In section 27 of the principal Act, for the words " and every Sarpanch, Sahayak Sarpanch or Panch of a Nyaya Panchayat shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of money or property belonging to the Gram Panchayat or Nyaya Panchayat as the case may be, if such loss, waste or misapplication is direct consequence of his neglect or misconduct while he was such Pradhan, Member, Surpanch, Sahayak Sarpanch or Panch:" the words " shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of money or property belonging to the Gram Panchayat, if such loss, waste or misapplication is direct consequence of his neglect or misconduct while he was such Pradhan or Member" shall be *substituted.*

Amendment of section 28

13. In section 28 of the principal Act, for the words " a Nyaya Panchayat, a Gram Panchayat" the words " a Gram Panchayat" shall be *substituted.*

Omission of section 39

14. Section-39 of the principal Act, shall be *omitted.*

Amendment of section 40

15. In Section 40 of the principal Act, the words "and Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

Omission of chapter-VI

16. Chapter VI of the principal Act, comprising sections 42 to 94-A shall be *omitted.*

Amendment of section-95

17. In section 95 of the principal Act, in sub-section(1),-

(a) the words "or a Nyaya Panchayat", or "or Nyaya Panchayat" wherever occurring shall be *omitted*;

(b) in clause (g) the words "or a Panch, Sahayak Sarpanch or Sarpanch of a Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

Amendment of section 100

18. In Section 100 of the principal Act, clause (b) shall be *omitted.*

Amendment of section 106

19. In section 106 of the principal Act,-

(a) in the marginal heading the words "or the officers and servants of Nyaya Panchayats" shall be *omitted*;

(b) in sub-section(1) the words " or of Nyaya Panchayat" and the words " or Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

Amendment of section 107

20. In section 107 of the principal Act,-

(a) in the marginal heading "and Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

(b) sub-section(1) shall be *omitted.*

Amendment of section 108

21. In section 108 of the principal Act, the words " and Nyaya Panchayat" shall be *omitted.*

Amendment of section 109

22. In section 109 of the principal Act, the words "as to the jurisdiction of a Nyaya Panchayat or "shall be *omitted.*

Amendment of section 110

23. In section 110 of the principal Act, in sub-section (2) :-

(a) the words " or Nyaya Panchayat", "and Nyaya Panchayats",

"and Nyaya Panchayat" or "Nyaya Panchayat" wherever occurring shall be *omitted.*

(b) clauses (iig), (xxv), (xxv-a), (xxv-b), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxx) shall be *omitted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 has been enacted for the establishment and development of local government in the rural areas of the State of Uttar Pradesh. The said Act provides for the constitution of Gram Panchayats and Nyaya Panchayats. By the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992, Part IX has been inserted in the Constitution of India in accordance with which there shall be three level of panchayats i.e. Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and Zila Panchayats.

According to the mandate of the Constitution of India, Gram Panchayats were entrusted with several powers due to impracticability of Nyaya Panchayats which has become inactive. It has, therefore, been decided to amend the said Act to omit the provisions thereof relating to Nyaya Panchayats.

The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 752 राजपत्र–(हिन्दी)–2017–(2420)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 150 सा0 विधायी–2017–(2421)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)